पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 161/2026

1 गुरदीप सिह पुत्र करतार सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम्

1 जीतसिह पुत्र करतारासिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती हैः- क. वादी गुरदीप सिह को प्राप्त आराजीः- चक नं0 9 एस.एल. डबल्यू के प०न० 206/313 मु0 42 किलानं0 9, 12, 13, 14

ख. प्रतिवादी जीतसिह को प्राप्त आराजीः- चक नं0 9 एस. एल.डबल्यू के प०न० 201 /310 मु0 18 किलानं0 25/253 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक न0 चक नं0 9 एस.एल.डबलयू के खाता सं0 40/40 मे से प्रतिवादी जीतसिह का हिस्सा कम व चक नं0 9 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 18/19 में से वादी गुरदीपसिह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।